राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई–105)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 2155 — 2541 / दिनांक 28/5/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद, (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :– आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं के सम्मिलित प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उप समिति (जलग्रहण) के गठन के सबंध में।

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 के अनुच्छेद 44 के अनुसार परियोजनान्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम पंचायतवार एक जलग्रहण समिति गठित किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 78–248 दिनांक 28.04.2010, 407–71 दिनांक 18.05.2010 एवं आदेश क्रमांक 4721–5178 दिनांक 08.03.2011 के माध्यम से भी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप परियोजना क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायतवार एक जलग्रहण समिति के गठन हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं।

विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ जिलों द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना में जलग्रहण समितियों का गठन परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायतवार नहीं करते हुए ग्रामवार गठन किया गया है एवं एक ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक जलग्रहण समितियों का गठन कर दिया गया है। इस प्रकार जलग्रहण समितियों का गठन किया जाना मार्गदर्शिका एवं विभागीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु जलग्रहण समितियों का गठन परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम पंचायतवार ही किया जावे एवं किसी भी स्थिति में एक ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक जलग्रहण समितियों का गठन नही किया जावें। यदि किसी परियोजना में एक ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक जलग्रहण समितियां गठित कर दी गई है तो इन समितियों को तुरन्त प्रभाव से भंग कर ग्राम पंचायतवार ही जलग्रहण समिति पुनः गठित की जावें एवं एक ही ग्राम पंचायत में गठित एक से अधिक गठित जलग्रहण समितियों के बैंक खाते भी तत्काल प्रभाव से बंद करवाकर ग्राम पंचायतवार गठित कमेटी के बैंक खाते विभागीय दिशा निर्देशानुसार खुलवाये जावें।

यदि भविष्य में एक ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक जलग्रहण समितियों का गठन पाया जाता है तो इसके लिए परियोजना प्रबन्धक एवं सम्बन्धित परियोजना कियान्वयन संस्था का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त निर्देशों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित की जावें।

निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई–105)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 2155-2541 दिनांक 28/5/12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला कलक्टर, (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
5. उपनिदेशक (IWMP-I/II/III/IV/V/VI/VII) / परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
6. समस्त लेखाधिकारी (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त), जिला परिषद
7. समस्त पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)
8. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।

निदेशक